

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

नीतीश कुमार

बनाम

बिहार राज्य

2021 का आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 233

16 अप्रैल, 2025

(माननीय न्यायमूर्ति श्री जितेन्द्र कुमार)

विचार के लिए मुद्दा

क्या याचिकाकर्ता, जो एक जघन्य अपराध करने का आरोपी किशोर है, जमानत पर रिहा होने का हकदार है या नहीं?

हेडनोट्स

किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015---धारा 3, 12---जघन्य अपराध करने के आरोपी कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे को जमानत---आक्षेपित आदेश को चुनौती देने वाली पुनरीक्षण याचिका जिसके तहत विद्वान अपीलीय अदालत ने याचिकाकर्ता को जमानत पर बढ़ाने से इनकार कर दिया।

माना गया: जेजे अधिनियम की धारा 12 के अनुसार, किशोर को जमानत देना एक नियम है और उसी से इनकार करना एक अपवाद है और किशोर को केवल निम्नलिखित तीन आधारों पर जमानत से इनकार किया जा सकता है:

(i) यदि रिहाई से उस व्यक्ति को किसी ज्ञात अपराधी के साथ जुड़ने की संभावना है, या, (ii) उक्त व्यक्ति को नैतिक, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक खतरे में डालना, या, (iii) व्यक्ति की रिहाई न्याय के उद्देश्यों को पराजित करेगी--- कथित अपराध की गंभीरता या किशोर की उम्र जमानत से इनकार करने के

लिए कोई प्रासंगिक विचार नहीं हैं- अधिनियम का उद्देश्य किशोरों का सुधार और पुनर्वास करना है, न कि उन्हें दंडित करना---यदि बालक को संरक्षण में रखना उसके विकास, पुनर्वास या संरक्षण में सहायक है, तभी यह कहा जा सकता है कि बालक को रिहा करने से न्याय का उद्देश्य पूरा नहीं होगा---- जे.जे. अधिनियम के तहत विधि से संघर्षरत बालक से वयस्क अपराधी के रूप में व्यवहार किए जाने की अपेक्षा नहीं की जाती है----न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियां सामाजिक जांच रिपोर्ट तथा अपीलकर्ता की आयु के निर्धारण के लिए जांच कार्यवाही के दौरान अपीलकर्ता की मां के बयान के अनुरूप नहीं हैं----रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है, जिससे पता चले कि यदि अपीलकर्ता को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह नैतिक, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक खतरे में पड़ जाएगा या अपराधियों के साथ जुड़ जाएगा----यदि अपीलकर्ता को शिक्षा प्रदान की जाती है और जिला प्रशासन उसके परिवार को राज्य कल्याण योजनाओं के अनुसार उसकी वित्तीय कठिनाई से उबरने में मदद करता है, तो उसे जमानत पर रिहा करना बालक के सर्वोत्तम हित में होगा---विवादित आदेश को अपास्त किया जाता है। (अनुच्छेद 12, 13, 17, 20, 25-27)

न्याय दृष्टान्त

अभिषेक बनाम राज्य; 205 सीआरआईएलजे (एनओसी) 115 (दिल्ली); मनोज बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली; 2006 सीआरआईएलजे 4759; लालू कुमार उर्फ लाल बाबू बनाम बिहार राज्य; 2019 (6) बीएलजे 2016-पर भरोसा किया गया।

अधिनियमों की सूची

भारतीय दंड संहिता; धारा 395, 376 डी, 397, 376(3) और 376(डीए); पोक्सो अधिनियम, 2012; धारा 6

मुख्य शब्दों की सूची

किशोर को जमानत; जघन्य अपराध; प्रारंभिक मूल्यांकन; जे.जे. अधिनियम का उद्देश्य; अपराधी बच्चों का सुधार और पुनर्वास; किशोर न्याय बोर्ड के कर्तव्य और प्रक्रिया।

प्रकरण से उत्पन्न

विद्वान विशेष न्यायाधीश (बाल न्यायालय), गया द्वारा आपराधिक अपील (किशोर) संख्या 32/2019 (सी.आई.एस.) में दिनांक 16.12.2020 को निर्णय पारित किया गया।

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

याचिकाकर्ता की ओर से : श्री मनीष कुमार नं.2, अधिवक्ता; श्री राम कुमार, अधिवक्ता; श्री रोहित प्रियदर्शी, अधिवक्ता
राज्य की ओर से : सुश्री संगीता शर्मा, एपीपी

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट बनाया गया: घनश्याम, अधिवक्ता

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 233/2021

थाना कांड संख्या -195 वर्ष-2018 थाना- कोंच जिला- गया से उत्पन्न

=====

नीतीश कुमार, पिता रामस्वरूप पासवान, निवासी ग्राम-कमलदह, थाना-परैया, जिला-गया, अपनी माता सुगी देवी, पति रामस्वरूप पासवान, निवासी ग्राम-कमलदह, थाना-परैया, जिला-गया के संरक्षण में।

..... याचिकाकर्ता

बनाम

बिहार राज्य

.....प्रतिवादी

=====

उपस्थिति:

याचिकाकर्ता की ओर से : श्री मनीष कुमार नं. 2, अधिवक्ता

श्री राम कुमार, अधिवक्ता

श्री रोहित प्रियदर्शी, अधिवक्ता

राज्य की ओर से : सुश्री संगीता शर्मा, अ.लो.अ

=====

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री जितेन्द्र कुमार**सीएवी निर्णय**

दिनांक: 16-04-2025

वर्तमान पुनरीक्षण याचिका याचिकाकर्ता द्वारा विद्वान विशेष न्यायाधीश (बाल न्यायालय), गया द्वारा आपराधिक अपील (किशोर) संख्या 32/2019 (सीआईएस) में पारित दिनांक 16.12.2020 के निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके तहत विद्वान अपीलीय न्यायालय ने याचिकाकर्ता को जमानत देने से इनकार कर दिया है।

2. मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि यह है कि गोपाल साव के फर्दबयान दिनांक 14.06.2018 पर कोंच थाना कांड संख्या 195/2018 भारतीय दंड संहिता (भ.द.स) की धारा 395, 376 डी, 397, 376(3) और 376(डीए) तथा पोक्सो अधिनियम, 2012 की धारा 6 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए 14.06.2018 को दस अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ पंजीकृत किया गया था।

3. जांच के बाद, दिनांक 06.09.2018 को भारतीय दंड संहिता की धारा 395, 376 डी, 397, 376(3) और 376(डीए) और पोक्सो अधिनियम, 2012 की धारा 6 के तहत अपीलकर्ता सहित बारह आरोपियों के खिलाफ पोक्सो कोर्ट में आरोप पत्र संख्या 192/2018 दायर किया गया था। यहां अपीलकर्ता के एक आवेदन पर, पोक्सो कोर्ट ने अपीलकर्ता के रिकॉर्ड को दिनांक 15.12.2018 के आदेश के तहत जे.जे. बोर्ड, गया को अपीलकर्ता द्वारा दायर स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी के साथ किशोर घोषित करने के लिए भेजा था।

4. तत्पश्चात, विद्वान जे.जे. बोर्ड, गया ने प्रवेश रजिस्टर के आधार पर अपीलकर्ता को किशोर घोषित किया, जिसमें उसकी जन्म तिथि 17.08.2001 अंकित थी, जबकि कथित घटना की तिथि 13.06.2018 है और इसलिए अपीलकर्ता की आयु 16 वर्ष 9 माह और 26 दिन पाते हुए अपीलकर्ता को किशोर घोषित किया गया और तत्पश्चात, दिनांक 28.01.2020 के आदेश के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 395, 376 डी, 397, 376(3) और 376(डीए) तथा पोक्सो अधिनियम, 2012 की धारा 6 के तहत दंडनीय अपराध का संज्ञान अपीलकर्ता के विरुद्ध लिया गया और उसकी आयु और कथित अपराध की प्रकृति को देखते हुए अपीलकर्ता के प्रारंभिक मूल्यांकन के लिए मामला तय किया गया। दिनांक 22.02.2020 के आदेश के अनुसार अपीलकर्ता का प्रारंभिक मूल्यांकन किया गया, जिसके अनुसार अपीलकर्ता को कथित अपराध करने में सक्षम पाया गया तथा उसके द्वारा कथित रूप से किए गए अपराध के परिणामों और प्रकृति को समझने में सक्षम पाया गया। इसलिए, मामले को वयस्क के रूप में उसके विचारण के लिए बाल न्यायालय,

गया में स्थानांतरित कर दिया गया। तत्पश्चात आरोप तय किया गया तथा विचारण चल रहा है, जो अभियोजन साक्ष्य के चरण में है।

5. जमानत आवेदन के संबंध में, यह पता चला है कि दिनांक 28.03.2019 के आदेश द्वारा, विद्वान जे.जे. बोर्ड ने अपीलकर्ता को जमानत पर रिहा करने के लिए उसके आवेदन को इस प्रकार खारिज कर दिया है:

“रिकॉर्ड के अवलोकन से पता चलता है कि यह मामला अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ धारा 395, 376 (डी) 376 (3), 376 (डीए), 397 आईपीसी और 6 पोस्को एक्ट 2012 के तहत दर्ज किया गया है और जांच पूरी होने के बाद आईओ ने सीआईसीएल सहित 12 आरोपियों की संलिप्तता पाई है। नीतीश कुमार ने सीआईसीएल के खिलाफ धारा 395, 397, 376 (डी), 376 (3), 376 (डीए), 412, 120 (बी) भ.द.स और 4/6 पोस्को एक्ट के तहत आरोप पत्र प्रस्तुत किया है। सूचक और पीड़ित लड़की ने धारा 164 दंड प्रक्रिया संहिता (द.प्र.स) के तहत अपने बयान में न केवल उपरोक्त धारा का समर्थन किया है, बल्कि अज्ञात आरोपियों के खिलाफ सामूहिक बलात्कार के आरोप का भी समर्थन किया है। गवाह रामबिलास पासवान, सीता देवी और विक्की पासवान ने सीआईसीएल के नाम को स्वीकार किया केस डायरी में नीतीश कुमार और अन्य आरोपी व्यक्तियों के नाम शामिल हैं।

एसआईआर के अवलोकन से पता चलता है कि सीआईसीएल पर संरक्षक का उचित नियंत्रण नहीं है, जिसके कारण सीआईसीएल गलत लोगों की संगति में है और बिना उचित मार्गदर्शन के अपने निर्णय लेने की आदत में है। यह भी पाया गया है कि सीआईसीएल ने अपने मित्र को सक्रिय रूप से सहायता प्रदान की। यदि सीआईसीएल को जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह इस तरह की नफरत के कारण शारीरिक और मानसिक खतरे में पड़ जाएगा।

जांच के बाद एकत्र की गई सामग्री पर विचार करने के बाद, महोदय, यह बोर्ड इस राय पर है कि यदि सीआईसीएल नीतीश कुमार को जमानत पर रिहा किया जाता है तो उन्हें शारीरिक, मानसिक और मनोवैज्ञानिक खतरे का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए उनकी जमानत याचिका खारिज की जाती है।”

6. अस्वीकृति आदेश के विरुद्ध अपीलार्थी ने विशेष न्यायाधीश (बाल न्यायालय) गया के न्यायालय में आपराधिक अपील (किशोर) संख्या 32/2019 प्रस्तुत की, किन्तु बाल न्यायालय ने भी दिनांक 16.12.2020 के आक्षेपित आदेश द्वारा अपीलार्थी को जमानत देने से इंकार कर दिया, जिसमें निम्न प्रकार से कहा गया:

“7. केस रिकॉर्ड और केस डायरी के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलकर्ता के खिलाफ आरोप का सार यह है कि उसने मुखबिर को सह-अभियुक्तों के साथ रास्ते में रोका जब वह अपनी पत्नी और बेटी के साथ मोटरसाइकिल पर अपने गांव जा रहा था और मुखबिर को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी और उसकी बेटी और पत्नी के साथ बलात्कार किया और मुखबिर से दो हजार रुपये और उसकी पत्नी के गहने भी लूट लिए।

कानून का यह स्थापित सिद्धांत है कि किशोर को जमानत देते समय मुख्य विचार खतरे की धारणा का उचित आकलन है, विशेष रूप से शारीरिक और मनोवैज्ञानिक, जिससे किशोर जमानत पर रिहा होने पर अवगत हो सकता है और इस संबंध में किशोर के पिछले इतिहास, गतिविधियों, व्यवहार और संगति पर मुख्य रूप से विचार किया जाना चाहिए। वर्तमान मामले में, केस डायरी के पैरा 117 से पता चलता है कि जांच के दौरान, पुलिस ने अपीलकर्ता के घर से दो जिंदा कारतूस के साथ एक देशी पिस्तौल बरामद की। मामले के सभी अन्य आरोपी व्यक्ति

अपीलकर्ता को अच्छी तरह से जानते हैं और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि अपीलकर्ता/सी.आई.सी.एल. उनकी अवैध गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग ले रहा है। इस अपीलकर्ता सहित आरोपी व्यक्ति द्वारा घटना को अंजाम देने में दिखाई गई क्रूरता और पेशेवरता स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि वे आदतन अपराधी हैं और अपीलकर्ता/सी.आई.सी.एल. की ऐसे अपराधी के साथ बुरी संगत है। सह-अभियुक्त हृदय पासवान, नववेश पासवान, प्रकाश पासवान और अन्य सह-अभियुक्तों ने घटना में अपीलकर्ता की संलिप्तता के बारे में विशेष रूप से बताया है। मामले के अन्य सह-अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास रहा है और वे गंभीर प्रकृति की कई घटनाओं में शामिल रहे हैं। सामाजिक जांच रिपोर्ट के अवलोकन से पता चलता है कि अपीलकर्ता के पिता का आपराधिक इतिहास रहा है और वे जेल भी जा चुके हैं। अपीलकर्ता ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी है। वह अशिक्षित परिवार से है। वह नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति है और बुरी संगत में रहता है। वह स्वयं निर्णय लेता है तथा उसके पास कोई उचित संरक्षकता नहीं है। अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों और परिस्थितियों के मद्देनजर ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलार्थी आदतन अपराधियों की बुरी संगत में है तथा अपीलार्थी के स्वस्थ भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए, मुझे मुकदमे के इस चरण में उसे जमानत पर छोड़ना उचित नहीं लगता है तथा इस अपील को स्वीकार करने से न्याय का उद्देश्य पूरा नहीं होगा तथा अपीलार्थी में सुधार का उद्देश्य पूरा नहीं होगा तथा उसकी रिहाई सी.आई.सी.एल./अपीलार्थी के हित के भी विरुद्ध होगी तथा सी.आई.सी.एल./अपीलार्थी को नैतिक, शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक खतरा होने की भी संभावना है। अतः मुझे कौंच थाना वाद संख्या 195/2018 में जे.जे.बी., गया द्वारा पारित दिनांक 28.03.2019 के आदेश में कोई अवैधता नहीं दिखती।

7. अपीलीय आदेश से व्यथित होकर अपीलकर्ता ने वर्तमान

पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की है।

8. मैंने अपीलकर्ता के विद्वान वकील और राज्य के विद्वान अ.लो.अ को सुना।

9. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने दलील दी कि विवादित फैसला कानून की नजर में टिकने लायक नहीं है। निचली अदालत ने गलत तरीके से अप्रासंगिक विचार के आधार पर अपील खारिज कर दी है। उन्होंने आगे दलील दी कि विवादित फैसला भी अनुमान और अटकलों पर आधारित है।

10. हालांकि, राज्य की ओर से विद्वान अ.लो.अ ने विवादित निर्णय का बचाव करते हुए कहा कि इसमें कोई अवैधानिकता या त्रुटि नहीं है और वर्तमान याचिका, तदनुसार, खारिज किए जाने योग्य है।

11. इससे पहले कि मैं पक्षों की प्रतिद्वंद्वी दलीलों पर विचार करूँ, मैं किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 12 का संदर्भ देना उचित समझता हूँ, जो किशोरों को जमानत देने से संबंधित है। अधिनियम की धारा 12 इस प्रकार है:

“12. ऐसे व्यक्ति को जमानत जो स्पष्टतः बालक है और जिसके बारे में यह आरोप है कि वह कानून का उल्लंघन कर रहा है-- (1) जब कोई व्यक्ति जो स्पष्टतः बालक है और जिसके बारे में यह आरोप है कि उसने जमानतीय या गैर-जमानती अपराध किया है, पुलिस द्वारा पकड़ा या हिरासत में लिया जाता है या बोर्ड के समक्ष पेश होता है या लाया जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) या वर्तमान में लागू किसी अन्य कानून में किसी बात के होते हुए भी जमानत के साथ या उसके बिना जमानत पर रिहा किया जाएगा या उसे परिवीक्षा अधिकारी की निगरानी में या किसी योग्य व्यक्ति की देखरेख में रखा जाएगा:

बशर्ते कि ऐसे व्यक्ति को इस प्रकार रिहा नहीं किया जाएगा यदि यह मानने के लिए उचित आधार प्रतीत होते हैं कि रिहाई

से उस व्यक्ति का किसी ज्ञात अपराधी से संबंध होने की संभावना है या उक्त व्यक्ति को नैतिक, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक खतरे में डालने की संभावना है या व्यक्ति की रिहाई से न्याय का उद्देश्य विफल होगा, और बोर्ड जमानत देने से इनकार करने के कारणों और परिस्थितियों को दर्ज करेगा। जिसके कारण ऐसा निर्णय लिया गया।

(2) जब ऐसा व्यक्ति पकड़ा गया हो और उसे पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी द्वारा उपधारा (1) के अधीन जमानत पर रिहा नहीं किया जाता है, तो ऐसा अधिकारी उस व्यक्ति को केवल संप्रेक्षण गृह [या, यथास्थिति, सुरक्षित स्थान] में ऐसी रीति से रखेगा जैसा विहित किया जाए, जब तक कि उस व्यक्ति को बोर्ड के समक्ष नहीं लाया जा सकता।

(3) जब ऐसा व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन बोर्ड द्वारा जमानत पर रिहा नहीं किया जाता है, तो वह उसे, यथास्थिति, संप्रेक्षण गृह या सुरक्षित स्थान पर, उस व्यक्ति के संबंध में जांच के लंबित रहने के दौरान ऐसी अवधि के लिए भेजने का आदेश देगा, जैसा आदेश में विनिर्दिष्ट किया जा सकता है।

(4) जब कानून से संघर्षरत कोई बच्चा जमानत आदेश के सात दिनों के भीतर जमानत आदेश की शर्तों को पूरा करने में असमर्थ हो, तो ऐसे बच्चे को जमानत की शर्तों में संशोधन के लिए बोर्ड के समक्ष पेश किया जाएगा।”

(जोर दिया गया)

12. जे.जे. अधिनियम, 2015 की धारा 12 के अवलोकन से यह स्पष्ट रूप से सामने आता है कि अधिनियम की धारा 12 दंड प्रक्रिया अधिनियम, 1973 या किसी अन्य कानून में निहित जमानत प्रावधानों को रद्द करती है। यह भी सामने आता है कि अधिनियम की धारा 12 के अनुसार, किशोर को जमानत देना एक नियम है और इससे इनकार करना एक अपवाद है और किशोर को केवल निम्नलिखित तीन आधारों पर जमानत देने से इनकार किया जा सकता है: (i) यदि यह मानने के लिए उचित आधार दिखाई

देते हैं कि रिहाई से उस व्यक्ति का किसी ज्ञात अपराधी के साथ संबंध बनने की संभावना है, या, (ii) उक्त व्यक्ति को नैतिक, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक खतरे में डालना, या, (iii) व्यक्ति की रिहाई न्याय के उद्देश्यों को विफल कर देगी।

13. यह भी सामने आया है कि कथित अपराध की गंभीरता या किशोर की आयु भी जे.जे. अधिनियम की धारा 12 के तहत जमानत से इनकार करने के लिए कोई प्रासंगिक विचार नहीं है। यहां तक कि 16 वर्ष या उससे अधिक आयु का बच्चा जिस पर जघन्य अपराध करने का आरोप है, वह भी अधिनियम, 2015 की धारा 12 के तहत जमानत पाने का हकदार है। अधिनियम, 2015 की धारा 12 में जमानत देने के संबंध में किसी भी तरह का वर्गीकरण नहीं किया गया है। धारा 12 बिना किसी भेदभाव के कानून का उल्लंघन करने वाले सभी किशोरों पर लागू होती है। (लालू कुमार उर्फ लाल बाबू बनाम बिहार राज्य, 2019 (6) बीएलजे 2016 का भी संदर्भ लें)।

14. यहां यह भी बताना उचित होगा कि जे.जे. अधिनियम की धारा 12(1) के प्रावधान में प्रयुक्त न्याय के उद्देश्य दंड विधानों के संदर्भ में प्रयुक्त न्याय के उद्देश्यों से बहुत भिन्न हैं। किसी भी अधिनियम के संदर्भ में न्याय के उद्देश्य उस अधिनियम के उद्देश्य और लक्ष्य के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं और जे.जे. अधिनियम का उद्देश्य किशोरों का सुधार और पुनर्वास करना है न कि उन्हें दंडित करना, जैसा कि जे.जे. अधिनियम की प्रस्तावना से पता चलता है, जो इस प्रकार है:

“कानून के साथ कथित रूप से संघर्षरत पाए गए बच्चों और देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करने के लिए एक अधिनियम, जिसमें उचित देखभाल, संरक्षण, विकास, उपचार,

सामाजिक पुनर्मिलन के माध्यम से उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा किया जाएगा, बच्चों के सर्वोत्तम हित में मामलों के निर्णय और निपटान में बाल-अनुकूल दृष्टिकोण अपनाकर और प्रदान की गई प्रक्रियाओं और स्थापित संस्थाओं और निकायों के माध्यम से उनके पुनर्वास के लिए और इससे जुड़े या इसके प्रासंगिक मामलों के लिए।”

(जोर दिया गया)

15. जे.जे. अधिनियम का उद्देश्य और लक्ष्य जे.जे. अधिनियम की धारा 3 में भी प्रकट होता है, जो अधिनियम के प्रशासन में पालन किए जाने वाले सामान्य सिद्धांतों का प्रावधान करता है। अधिनियम की धारा 3 इस प्रकार है:

“3. अधिनियम के प्रशासन में अनुसरण किए जाने वाले सामान्य सिद्धांत. केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, बोर्ड और अन्य एजेंसियां, जैसा भी मामला हो, इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करते समय निम्नलिखित मौलिक सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होंगी, अर्थात्:—

.....
(iv) सर्वोत्तम हित का सिद्धांत: बच्चे के संबंध में सभी निर्णय प्राथमिक विचार पर आधारित होंगे कि वे बच्चे के सर्वोत्तम हित में हैं और बच्चे को पूर्ण क्षमता विकसित करने में मदद करते हैं।

.....
(vi) सुरक्षा का सिद्धांत: यह सुनिश्चित करने के लिए सभी उपाय किए जाएंगे कि बच्चा सुरक्षित रहे और देखभाल एवं संरक्षण प्रणाली के संपर्क में रहने के दौरान तथा उसके बाद उसे किसी प्रकार का नुकसान, दुर्व्यवहार या दुर्व्यवहार न हो।

(vii) सकारात्मक उपाय: कल्याण को बढ़ावा देने, पहचान के विकास को सुविधाजनक बनाने और एक समावेशी और सक्षम वातावरण प्रदान करने, बच्चों की कमजोरियों को कम करने और इस अधिनियम के तहत हस्तक्षेप की आवश्यकता के लिए

परिवार और समुदाय सहित सभी संसाधनों को जुटाया जाना चाहिए।

(viii) गैर-कलंककारी शब्दार्थ का सिद्धांत: बच्चे से संबंधित प्रक्रियाओं में प्रतिकूल या आरोपात्मक शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए।

(जोर दिया गया)

16. जे.जे. अधिनियम इस विश्वास पर आधारित है कि बच्चे समाज का भविष्य हैं और यदि वे किसी परिस्थिति में कानून के साथ संघर्ष करते हैं, तो उन्हें सुधारा जाना चाहिए और उनका पुनर्वास किया जाना चाहिए, न कि उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। कोई भी समाज अपने बच्चों को दंडित करने का जोखिम नहीं उठा सकता। कानून के साथ संघर्ष करने वाले बच्चों के प्रति दंडात्मक दृष्टिकोण समाज के लिए आत्मघाती होगा।

17. इस प्रकार, यदि बच्चे को हिरासत में रखना उसके विकास और पुनर्वास या संरक्षण में सहायक है, तभी यह कहा जा सकता है कि बच्चे को रिहा करने से न्याय का उद्देश्य विफल हो जाएगा। (अभिषेक बनाम राज्य, 205 सीआरआईएलजे (एनओसी) 115 (दिल्ली) और मनोज बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली, 2006 सीआरआईएलजे 4759 का भी संदर्भ लें।)

18. अधिनियम की धारा 3 से यह भी पता चलता है कि सुधार गृह या संप्रेक्षण गृह हमारे विधानमंडल द्वारा अपराधी बच्चों के सुधार और पुनर्वास के लिए विचार किए गए उपायों में से केवल एक है। हालाँकि, विधानमंडल ने कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे के परिवार को अधिनियम के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सबसे अच्छी और पहली वांछनीय संस्था माना है। इसलिए, बच्चे की देखभाल और सुरक्षा की प्राथमिक जिम्मेदारी बच्चे के जैविक परिवार या दत्तक या पालक माता-पिता को दी गई है और यह विचार किया गया है कि कानून का उल्लंघन करने वाले प्रत्येक बच्चे को जल्द

से जल्द अपने परिवार के साथ फिर से जुड़ने का अधिकार है। कानून का उल्लंघन करने वाले किशोर का संस्थागतकरण अंतिम उपाय के रूप में विचार किया गया है। ऐसे सिद्धांत अधिनियम की धारा 3 के खंड v, xii और xiii में प्रकट होते हैं जो इस प्रकार हैं:

“3. अधिनियम के प्रशासन में अनुसरण किए जाने वाले सामान्य सिद्धांत. केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, बोर्ड और अन्य एजेंसियां, जैसा भी मामला हो, इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करते समय निम्नलिखित मौलिक सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होंगी, अर्थात्: -

.....
(v) पारिवारिक जिम्मेदारी का सिद्धांत: बच्चे की देखभाल, पोषण और संरक्षण की प्राथमिक जिम्मेदारी जैविक परिवार या दत्तक या पालक माता-पिता की होगी, जैसा भी मामला हो।

.....
(xii) अंतिम उपाय के रूप में संस्थागतकरण का सिद्धांत: एक बच्चे को उचित जांच करने के बाद अंतिम उपाय के रूप में संस्थागत देखभाल में रखा जाएगा।

(xiii) प्रत्यावर्तन और बहाली का सिद्धांत: किशोर न्याय प्रणाली में प्रत्येक बच्चे को जल्द से जल्द अपने परिवार के साथ फिर से जुड़ने और उसी सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक स्थिति में बहाल करने का अधिकार होगा, जिसमें वह इस अधिनियम के दायरे में आने से पहले था, जब तक कि ऐसी बहाली और प्रत्यावर्तन उसके सर्वोत्तम हित में।

(जोर दिया गया)

19. इस प्रकार, जे.जे. अधिनियम की धारा 12 अधिनियम के उद्देश्य और लक्ष्य के अनुरूप है, जो कानून का उल्लंघन करने वाले किशोर को अनिवार्य जमानत प्रदान करती है, जब तक कि अधिनियम की धारा 12(1) के प्रावधान में दिए गए आधार मौजूद न हों, ताकि बच्चे को जल्द से जल्द उसके

परिवार के साथ फिर से मिलाया जा सके और बच्चे की सुरक्षा, विकास, सुधार और पुनर्वास सुनिश्चित किया जा सके।

20. इसलिए, जे.जे. अधिनियम, 2015 के तहत कानून से संघर्षरत बच्चे के साथ वयस्क अपराधी की तरह व्यवहार किए जाने की अपेक्षा नहीं की जाती है। जे.जे. बोर्ड/न्यायालय को कानून से संघर्षरत किशोरों के साथ व्यवहार करते समय मौलिक रूप से एक अलग दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे ऐसे किशोरों के साथ पूरी संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ व्यवहार करें, जे.जे. अधिनियम के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए बच्चे को सुधारें और उसका पुनर्वास करें, ताकि उसे समाज का एक जिम्मेदार और उत्पादक सदस्य बनाया जा सके। अगर ऐसे बच्चों के साथ दंडात्मक दृष्टिकोण से व्यवहार किया जाता है तो समाज बर्बाद हो जाएगा।

21. वर्तमान मामले की बात करें तो, मुझे लगता है कि विद्वान जे.जे. बोर्ड ने अपीलकर्ता की जमानत याचिका इस आधार पर खारिज कर दी है कि उसके अभिभावक का उस पर कोई नियंत्रण नहीं है और वह उचित मार्गदर्शन के बिना अपने फैसले खुद लेने की आदत रखता है और वह गलत लोगों की संगति में है। विद्वान जे.जे. बोर्ड ने यह भी पाया है कि अगर अपीलकर्ता को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह समाज में व्याप्त नफरत के कारण शारीरिक और मनोवैज्ञानिक खतरे में पड़ जाएगा।

22. मैं यह भी पाता हूँ कि विद्वान बाल न्यायालय ने अपीलकर्ता को जमानत देने से भी इंकार कर दिया है, यह देखते हुए कि जाँच के दौरान उसके घर से एक देशी पिस्तौल और दो जिंदा कारतूस बरामद किए गए थे और वह अवैध गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेता रहा है। उन्होंने

"अपराध करने में अभियुक्तों और अपीलकर्ता द्वारा दिखाई गई क्रूरता और व्यावसायिकता" को भी ध्यान में रखा है। यह भी देखा गया है कि अपीलकर्ता सहित अभियुक्त व्यक्ति आदतन अपराधी हैं और वे अपराधियों की बुरी संगत में भी हैं। अपीलकर्ता के पिता का आपराधिक इतिहास रहा है और वह जेल में है। अपीलकर्ता एक अशिक्षित परिवार से हैं और उसने पढ़ाई भी छोड़ दी है।

23. हालाँकि, मुझे लगता है कि विद्वान जे.जे. बोर्ड और विद्वान बाल न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियाँ सामाजिक जाँच रिपोर्ट और अपीलकर्ता की माँ के बयान के अनुरूप नहीं हैं, जैसा कि अपीलकर्ता की आयु के निर्धारण के लिए जाँच कार्यवाही के दौरान किया गया था। अपने बयान में, अपीलकर्ता की माँ, सुगी देवी ने कहा है कि उसके तीन बच्चे हैं और अपीलकर्ता सबसे बड़ा है और उसने कक्षा-5 पास करने के बाद स्कूल छोड़ दिया और खेती में उसकी मदद करना शुरू कर दिया।

24. सामाजिक जांच रिपोर्ट के अवलोकन से यह भी पता चलता है कि अपीलकर्ता अनुसूचित जाति समुदाय से संबंधित एक गरीब और अशिक्षित परिवार से है और अपने परिवार की गरीबी के कारण, उसे कक्षा-5 पास करने के बाद स्कूल छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा ताकि वह अपने परिवार की जीविका के लिए खेती में मदद कर सके। वह अविवाहित है और अपने माता-पिता का सबसे बड़ा पुत्र है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। निचली अदालत का यह अवलोकन कि वह अवैध गतिविधियों में शामिल था, बिना किसी आधार के अनुमान पर आधारित है।

25. निचली अदालत का यह अवलोकन कि अपीलकर्ता बुरी संगत में है, भी निराधार है। सामाजिक जांच रिपोर्ट में इस अवलोकन के समर्थन में कोई विशेष जानकारी नहीं दी गई है। अपीलकर्ता की माँ के बयान

से पता चलता है कि उसका परिवार बहुत गरीब है, अपने भरण-पोषण के लिए संघर्ष कर रहा है और अपीलकर्ता अपने परिवार के भरण-पोषण में अपनी माँ की मदद कर रहा था।

26. मैं यह भी पाता हूँ कि अपीलकर्ता का नाम प्राथमिकी में नहीं था और प्राथमिकी अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज की गई थी और अपीलकर्ता के खिलाफ कोई विशेष आरोप नहीं लगाया गया है। पूरा मामला संदेह पर आधारित है और कथित अपराध में अपीलकर्ता की संलिप्तता को दर्शाने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है।

27. रिकॉर्ड में ऐसा कोई भी साक्ष्य नहीं है जिससे पता चले कि अगर अपीलकर्ता को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो उसे नैतिक, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक खतरे का सामना करना पड़ेगा। रिकॉर्ड पर ऐसा कोई सबूत भी नहीं है जिससे पता चले कि वह किसी आपराधिक गिरोह का सदस्य था और उसकी रिहाई से वह ऐसे अपराधियों के संपर्क में आएगा।

28. इसके विपरीत, मुझे लगता है कि अपीलकर्ता अपने परिवार के एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में काम कर रहा था। वह नाबालिग होने के बावजूद परिवार के भरण-पोषण में अपनी माँ की मदद कर रहा था। उसने केवल परिवार की आर्थिक तंगी के कारण और अपनी माँ की खेती में मदद करने के लिए स्कूल छोड़ दिया था ताकि उसकी माँ परिवार का भरण-पोषण कर सके।

29. यद्यपि यह बात रिकॉर्ड में आई है कि अपीलकर्ता के पिता का आपराधिक इतिहास है और वह जेल में है, लेकिन उसकी माँ का ऐसा कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, जो एक गृहिणी है और अपने परिवार का भरण-

पोषण करने के लिए खेती करती है और अपीलकर्ता परिवार के भरण-पोषण के लिए उसकी मदद कर रहा था।

30. इस प्रकार, मुझे लगता है कि अपीलकर्ता को जमानत देने से इनकार करने का कोई आधार नहीं बनता है। वास्तव में, मुझे लगता है कि अपीलकर्ता को जमानत पर रिहा करना बच्चे के सर्वोत्तम हित में होगा यदि उसे शिक्षा प्रदान की जाए और जिला प्रशासन उसके परिवार को राज्य कल्याण योजनाओं के अनुसार उसकी वित्तीय कठिनाई से उबरने में मदद करे।

31. अतः विद्वान विशेष न्यायाधीश (बाल न्यायालय), गया द्वारा पारित दिनांक 16.12.2020 का आक्षेपित निर्णय एवं विद्वान जे.जे. बोर्ड द्वारा पारित दिनांक 28.03.2019 का आदेश कानून की नजर में टिकने योग्य नहीं है।

32. तदनुसार, अपील को स्वीकार किया जाता है, तथा अपीलकर्ता को जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया जाता है, बशर्ते कि उसकी मां 10,000/- रुपए का जमानत बांड प्रस्तुत करे तथा हलफनामे के माध्यम से यह वचन दे कि अपीलकर्ता किसी भी अपराधी के संपर्क में नहीं आएगा तथा वह ओपन स्कूल या अन्य माध्यम से अपनी शिक्षा पुनः आरंभ करेगा तथा उसकी विकासात्मक आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाएगा, तथा वह आवश्यकता पड़ने पर या निर्देश दिए जाने पर जे.जे. बोर्ड तथा न्यायालयों में उपस्थित होगा।

33. गया के जिला मजिस्ट्रेट को यह भी निर्देश दिया जाता है कि वे यह सुनिश्चित करें कि अपीलकर्ता के परिवार के पास राशन कार्ड और आधार कार्ड हो और उसे सरकारी योजनाओं के अनुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली से रियायती दर पर खाद्यान्न की आपूर्ति हो। जिला मजिस्ट्रेट को यह

भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है कि यदि अपीलकर्ता का परिवार घर बनाने या पशुपालन के लिए ऋण प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने की शर्तों को पूरा करता है, तो उसे ऐसी वित्तीय सहायता और ऋण मिल जाए।

34. सचिव, गया जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भी निर्देश दिया जाता है कि वे अपीलकर्ता को जिला मजिस्ट्रेट के सहयोग से राशन कार्ड, आधार कार्ड और घर और पशुपालन के लिए वित्तीय सहायता दिलाने में आवश्यक सहायता प्रदान करें। सचिव, डीएलएसए, गया को भी निर्देश दिया जाता है कि वे अपीलकर्ता को ओपन स्कूल या अन्य शैक्षणिक संस्थानों में दाखिला दिलाने में सहायता प्रदान करें, ताकि अपीलकर्ता अपनी शिक्षा फिर से शुरू कर सके। इस निर्णय/आदेश की एक प्रति निचली अदालत, जिला मजिस्ट्रेट, गया और सचिव डीएलएसए, गया को उनकी जानकारी और आवश्यक सहायता के लिए भेजी जाए।

35. इस निर्णय/आदेश की एक प्रति बिहार राज्य के जे.जे. बोर्ड और बाल न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों के बीच भी प्रसारित की जाए। इस निर्णय/आदेश की एक प्रति जे.जे. बोर्ड और बाल न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में चर्चा के लिए बिहार न्यायिक अकादमी को भी भेजी जाए।

36. निचली अदालत के रिकॉर्ड को संबंधित अदालतों को वापस भेजा जाए।

(जितेन्द्र कुमार, न्यायमूर्ति)

चंदन/रविशंकर

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।